न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान गुलेरिया

राजस्व वाद संख्या : 92 / 2025
निर्णय दिनांक : 27.06.2025
दायर दिनांक – 18.06.2025

1. इमाम बक्स पुत्र इशाक जाति तेली निवासी चांद बास, वार्ड सं0 9, सुजानगढ़ जिला चूरू

...............वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान

...............प्रतिवादी

दावा बाबत राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती

उपस्थित :–

1. श्री शुभम सिंगोदिया एडवोकेट वादी
2. प्रतिवादी पेरोकार राज उपस्थित।

–:निर्णय:–

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वाके रोही भोजलाई पटवार मण्डल देवाणी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में संयुक्त व अविभाजित खातेदारी खेत खसरा संख्या 257 तादादी 3.2497 हैक्टेयर, खसरा संख्या 260 तादादी 0.4172 हैक्टेयर, खसरा संख्या 264 तादादी 0.0126 हैक्टेयर, खसरा संख्या 265 तादादी 2.7692 हैक्टेयर, खसरा संख्या 266 तादादी 7.2455 हैक्टेयर, खसरा संख्या 296 तादादी 0.2908 हैक्टेयर, खसरा संख्या 297 तादादी 2.8704 हैक्टेयर, खसरा संख्या 300 तादादी 2.4657 हैक्टेयर, खसरा संख्या 674 / 268 तादादी 1.9220 हैक्टेयर, खसरा संख्या 676 / 289 तादादी 1.3783 हैक्टेयर कुल तादादी 22.6214 है0 स्थित है। वादी, वादी के भाई, बहिन व माता का हिस्सा इनके संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग के है, जिन्हे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादी के पिता इसाक के स्वर्गवास के पश्चात् वादगत खेतों का विरासतन इन्तकाल दर्ज करते वक्त वादी के भाई का बोलता नाम मो0 अली व माता सहिदा का नाम सईदान लिखा गया जबकि वादी के भाई व माता का वास्तविक व दस्तावेजी नाम क्रमशः मोहम्मद व सहिदा है। जो उनके समस्त दस्तावेज व मृत्युप्रमाण पत्र में भी अंकित है। वादी के भाई का निधन दि0 27.09.2016 व माता सहिदा का स्वर्गवास दि0 11.02.2017 को हो गया। मोहम्मद व सहिदा के नाम के आधार पर वादी द्वारा वीरासतन दर्ज करवाने में परेशानी का सामना करना पड रहा है नाम में अंतर होने के कारण वादी के भाई व माता का हिस्सा वादी व उसके परिवार के पक्ष में विरासतन नामांतरण दर्ज नहीं हो पा रहा है।

राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम अंकित होने के कारण वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए वादी को आवश्यक हो गया कि वह राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम के अंकन को दुरस्त करवाये। जिसका वह कानूनन अधिकारी है।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि संबंधित खेत के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के भाई का नाम मो0 अली पुत्र इसाक व माता का नाम सईदान पत्नी ईशाक दर्ज है जबकि इनके अन्य दस्तावेज यथा आधारकार्ड, मृत्यु प्रमाणपत्र आदि में इनके नाम क्रमशः मोहम्मद पुत्र इशाक व सहिदा पत्नी ईशाक दर्ज है। अतः वादी के भाई का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मो0 अली पुत्र इसाक के स्थान पर मोहम्मद पुत्र ईशाक व माता का नाम सईदान पत्नी ईशाक के स्थान पर सहिदा पत्नी ईशाक किये जाने की अभिशंषा की जाती है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मृत्युप्रमाण पत्र तथा कुर्सीनामा में भी वादी के भाई का नाम मोहम्मद पुत्र ईशाक व माता का नाम सहिदा पत्नी ईशाक अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश:—

दावा वादी पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान गुलेरिया में अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि खसरा संख्या 257 तादादी 3.2497 हैक्टेयर, खसरा संख्या 260 तादादी 0.4172 हैक्टेयर, खसरा संख्या 264 तादादी 0.0126 हैक्टेयर, खसरा संख्या 265 तादादी 2.7692 हैक्टेयर, खसरा संख्या 266 तादादी 7.2455 हैक्टेयर, खसरा संख्या 296 तादादी 0.2908 हैक्टेयर, खसरा संख्या 297 तादादी 2.8704 हैक्टेयर, खसरा संख्या 300 तादादी 2.4657 हैक्टेयर, खसरा संख्या 674/268 तादादी 1.9220 हैक्टेयर, खसरा संख्या 676/289 तादादी 1.3783 हैक्टेयर कुल तादादी 22.6214 है0 रोही ग्राम भोजलाई तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी के भाई का नाम मो0 अली पुत्र इसाक के स्थान पर मोहम्मद पुत्र ईशाक एवं माता का नाम सईदान पत्नी ईशाक के स्थान पर सहिदा पत्नी ईशाक खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2025 को टंकित करवाया जाकर पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान गुलेरिया में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

डिकरी व मुकदमे इस्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अदालत – उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय राजस्व पखवाड़ा स्थान गुलेरिया)

इमाम बक्श बनाम राज. सरकार

दावा बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा न0 92 सन 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हाजरी श्री शुभम सिसोदिया एवं मिनजानिब मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है

हुक्म कि दावा वादी राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ को आदेशित किया जाता है कि खसरा संख्या 257 तादादी 3.2497 हैक्टेयर, खसरा संख्या 260 तादादी 0.4172 हैक्टेयर, खसरा संख्या 264 तादादी 0.0126 हैक्टेयर, खसरा संख्या 265 तादादी 2.7692 हैक्टेयर, खसरा संख्या 266 तादादी 7.2455 हैक्टेयर, खसरा संख्या 296 तादादी 0.2908 हैक्टेयर, खसरा संख्या 297 तादादी 2.8704 हैक्टेयर, खसरा संख्या 300 तादादी 2.4657 हैक्टेयर, खसरा संख्या 674/268 तादादी 1.9220 हैक्टेयर, खसरा संख्या 676/289 तादादी 1.3783 हैक्टेयर कुल तादादी 22.6214 है0 रोही ग्राम भोजलाई तहसील सुजानगढ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी के भाई का नाम मो0 अली पुत्र इसाक के स्थान पर मोहम्मद पुत्र ईशाक एवं माता का नाम राईदान पत्नी ईशाक के स्थान पर सहिदा पत्नी ईशाक खातेदार दर्ज किया जावे।

चीज ....मुबलिग ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... बाबत ....

आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक .... फीसदी सालाना को अदा करे। ....

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **27** माह **06** वर्ष **2025**

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये